325

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 1997 (फाल्गुन 21, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रतापसिंह बघेल, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा, कंकर मुंजारे, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, गुना के समीप बस-ट्रेन दुर्घटना से अनेक यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मुनीराम साहू, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम आगारपानी में आन्त्रशोथ की बीमारी से बैगा आदिवासियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-275, सांवेर के सदस्य, श्री प्रकाश सोनकर को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 1997 सत्र में सभा की शेष बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के-

(क) मजरा बागवान के पुरा में परसा के पुरा तथा जूजू के पुरा को शामिल कर नया ग्राम बनाने,

(ख) मजरा माता के पुरा को ग्राम का दर्जा दिलाने,

(ग) मजरा रामलाल के पुरा को ग्राम का दर्जा दिलाने,

(घ) मजरा करैरा में सावधान के पुरा तथा झापे वालों के पुरा को मिला कर ग्राम का दर्जा दिलाने एवं उसे जौरा तहसील के अन्दर लेने, तथा

(ङ) मजरा मकुंदा एवं फूलपुरा को शामिल कर ग्राम का दर्जा दिलाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 15 मि. — श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 7 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 1997-98 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

	(1) मांग संख्या 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	मांग संख्या 61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा 30 मि.	(2) मांग संख्या 12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मि.	(3) मांग संख्या 10	वन
	मांग संख्या 71	दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं-वन
	मांग संख्या 77	वन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा	(4) मांग संख्या 15	डेयरी विकास
	मांग संख्या 16	मछली पालन
1 घन्टा	(5) मांग संख्या 34	समाज कल्याण
1 घन्टा 30 मि.	(6) मांग संख्या 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा	(7) मांग संख्या 07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

9. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 6 सितम्बर, 1996 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 5346) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 एवं दिनांक 26 फरवरी, 1997 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से क्रमशः पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्रमांक 2500) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 89 (क्रमांक 5016) के उत्तरों से उद्‌भूत विषय पर श्री बच्चन नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 1997